<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>03-07-2025</u>

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2025 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ द्वारा दायर पीएमएलए मामले में सौरभ साहू, अश्वनी कुमार और श्रीमती ममता सिन्हा को दोषी ठहराया है तथा प्रत्येक आरोपी पर 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

ईडी ने सीबीआई, एसपीई, एसीबी, लखनऊ, उप्र द्वारा अमर नाथ साहू व अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120 बी, 420, 467, 468 और 471 और पीसी एक्ट, 1988 की धारा13(1)(डी) के साथ पठित 13(2) के उल्लंघन के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अमर नाथ साहू व अन्य आरोपियों ने उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत से ऋण स्वीकृत और वितरित करके 2004-2006 के दौरान तत्कालीन इलाहाबाद बैंक, जानकीपुरम शाखा, लखनऊ को 3.20 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुंचाया।

ईडी की जांच के परिणामस्वरूप दो अचल संपत्तियों के रूप में 16,42,248 रुपये की अपराध आय (पीओसी) कुर्क की गई । लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा 06.10.2017 को दायर शिकायत संख्या 93/2017 ईडी बनाम अमर नाथ साहू व अन्य के मामले, जिसमें अमर नाथ साहू, सौरभ साहू, अश्वनी कुमार और श्रीमती ममता सिन्हा को आरोपी बनाया गया था, में 30.06.2025 को दोषसिद्धि आदेश सुनाया गया। अमर नाथ साहू के विरुद्ध मुकदमा उनकी मृत्यु के कारण समाप्त कर दिया गया तथा शेष आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित धन शोधन के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इन आरोपियों को 3 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, कुर्क की गई दो अचल संपत्तियों को भी धन-शोधन में शामिल पाया गया है और उन्हें केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया गया है।